SW 70
File

न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा

क्रमांक 960()/2025 हरदा, दिनांक 04.07.2025

//विविध आदेश//

मैं लवकेश सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाश अवधि के दौरान अति आवश्यक दाण्डिक कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 03:00 बजे से सांय काल 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत करता हूँ :–

मुख्यालय हरदा

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जुलाई 2025	अगस्त 2025
01	श्री एस0 के0 भदकारिया, जे.एम.एफ.सी. हरदा	27	02, 03
02	श्री संजीव राहँगडाले, जे.एम.एफ.सी. हरदा	05	9, 10, 27
03	श्री प्रेमदीप शाह, जे.एम.एफ.सी. हरदा	06, 13	24, 31
04	सुश्री काजल सिंह पटेल, जे.एम.एफ.सी. हरदा	19, 20	15, 16, 17

तहसील खिरकिया

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जुलाई 2025	अगस्त 2025
01	श्री मोहित श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. खिरकिया	सभी अवकाश के दिन	सभी अवकाश के दिन

तहसील टिमरनी

क्रं	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जुलाई 2025	अगस्त 2025
01	सुश्री नुपूर तिवारी, जे.एम.एफ.सी. टिमरनी	सभी अवकाश के दिन	सभी अवकाश के दिन

01. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा या शासन द्वारा कार्य दिवस में अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने या रिमाण्ड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने या अवकाश पर चले जाने पर जिला स्थापना पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

02. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश का कड़ाई से पालन करें। यदि किसी अपरिहार्य एवं अत्यावश्यक कारणों से न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है और तिथि में परिवर्तन करना

हो तो आपस में समायोजन कर तथा पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति लेकर नियत तिथि से पूर्व एवं इस न्यायालय को लिखित में सूचित करने एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित कर सकेंगे तथा मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

03. किसी आकस्मिक दिवस में अवकाश अचानक से घोषित हो जाने पर उपरोक्त दिवस के पूर्व जिस पीठासीन अधिकारी ने रिमाण्ड ड्यूटी की थी उसके द्वारा ही आगामी दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जायेगी।

04. संबंधित पीठासीन अधिकारी का स्टाफ रिमाण्ड ड्यूटी के समय आवश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु उपस्थित रहेंगे।

05. खिरकिया न्यायालय रिक्त होने से अवकाश के दिनों में जिस भी न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी रहेगी वह खिरकिया न्यायालय का कार्य भी सम्पादित करेंगे।

सही/–
(लवकेश सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा
जिला हरदा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 960/2025 हरदा, दिनांक 4/7/25

प्रतिलिपि :–

1. माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, हरदा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक हरदा की ओर सूचनार्थ।
3. जिला अभिभाषक संघ, की ओर सूचनार्थ।
4. जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरदा।
5. नाजिर हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी की ओर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में आवश्यक कक्ष खुलवाकर साफ–सफाई करावे।
6. सांख्यिकीय लिपिक हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सिस्टम ऑफिसर हरदा की ओर समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, खिरकिया, टिमरनी को व्हाट्सअप, ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

(लवकेश सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा
जिला हरदा (म0प्र0)